प्रेस नोट

दिनांक 09.08.2025

थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा 25,000/- रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.08.2025 को मु0अ0सं0 216/2025 धारा 109 बीएनएस से सम्बन्धित 25,000/- रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त आनन्द सिंह पुत्र अमर पाल सिंह निवासी कटरा थाना कोतवाली नगर जनपद बाँदा को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 03.07.2025 को वादी रज्जन सिंह पुत्र गुमान सिंह निवासी ग्राम गुगौरा थाना कवरई जनपद के नाती अनुरुद्ध सिंह को जान से मारने की नियत से अभियुक्त द्वारा तमंचे से गोली मार दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाने पर मु0अ0सं0 216/2025 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

आनन्द सिंह पुत्र अमर पाल सिंह निवासी कटरा थाना कोतवाली नगर जनपद बाँदा (उम्र करीब 29 वर्ष)।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 -216/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 भानुप्रताप थाना सुमेरपुर

2.का0 दिलीप सिंह थाना सुमेरपुर

3.का0 अनुराग सिंह थाना सुमेरपुर